न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र – 29 / 22 तारीख रुजू–16 / 09 / 22

1 सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर। —— प्रार्थी

बनाम

1. अनीसा बानो पत्नि मुबीन हि0 1 / 2 मुबीन पुत्र कयूयूम हि0 1 / 2 जाति तेली सा0 देह गैरखातेदार। – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 05 / 08 / 2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को ग्राम वजीरपुर में स्थित आवंटित भूमि खं0नं0 2688 रकबा 0.85 है0 बारानी अलिफ में से मुवीन पुत्र कयूयूम ,अनीसा बानों पत्नि मुवीन जाति तेली को आवंटित भूमि 0.28 है0 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 में आराजी खसरा नं02688 रकबा 0.85 है0 बारानी अलिफ में से मुवीन पुत्र कयूयूम ,अनीसा बानों पत्नि मुवीन जाति तेली सा0 देह को ग्राम वजीरपुर में श्रीमान् उप जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक 1613–15 दिनांक 27.06.2022 से आवंटन होने पर दिनांक 27.06.2002 को आराजी खं0नं0 2688 / 3 रकबा 0.28 है0 किस्म अलिफ का जरिये नामान्तकरण सं0 1050 ग्राम वजीरपुर में गैरखातेदारी स्वीकृत की जाकर जमाबन्दी संवत् 2076–2059 में गैर खातेदार को नोट अंकित किया गया। ग्राम वजीरपुर में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 के मुताविक खं0नं0 2668 / 3 रकवा 0.28 है0 बारानी ए के स्थान पर एक सामन्य आदेश से खं0नं0 के वटा 1,2........ आदि को समाप्त करते हुए ग्राम के अन्तिम खसरा नम्बर से खं0नं0 5490 / 2688 रकबा 0.28 है0 बारानी ए कायम किया गया। मुताबकि रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार आवंटी द्वारा चार वर्षो से लगातार काश्त

अतिरिक्त जिला कलैक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

की है। इस रिपोर्ट पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा आदेश क्रमांक 2387 दिनांक 04.11.2010 से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने पर तत्कालीन पटवारी हल्का वजीरपुर द्वारा नामान्तकरण सं0 1488 मुबीन पुत्र कयूयूम, अनिसा बानो पत्नि मुबीन जाति तेली सा0देह गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु दिनांक 26.11.2010 दर्ज किया गया। जिसे तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक वजीरपुर द्वारा जांच किये जाने पर तत्कालीन नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 18.05.2011 को आवंटी का मौके व रिकोर्ड ,खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिस दर्ज नहीं होने पर एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं करने का नोट अंकित करते हुए नामान्तकरण खारिज किया जाकर नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी मौके पर संवत् 2064 में फसल बाजारा 0.28 है0 व संवत् 2065 में फसल सरसों 0.28 है0, काश्त की गयी है एवं फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक के भूमि मौके पर खाली है। किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है व काफी समय से पड़त पड़ी हुई है। नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 18.05.2011 को आवंटी का मौके व रिकोर्ड खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिसं दर्ज नहीं होने से आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया गया है, साथ ही पेरोकार सरकार ने आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल आधारहीन व डिफेक्टिव है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त आवंटी भूमि पर नियमानुसार फसल काश्त की गई थी। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वयं न की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी जिस आवंटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में आया है। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति आंदिनांक तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2056-59 में आराजी खसरा नं02688 रकबा 0.85 है0 बारानी अलिफ में से मुबीन पुत्र कय्यूम ,अनीसा बानों पत्नि मुबीन जाति तेली सा0 देह को ग्राम वजीरपुर में श्रीमान् उप जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 1613-15 दिनांक 27.06.2022 से आवंटन होने पर दिनांक 27.06.2002 को आराजी खं0नं0 2688/3 रकवा 0.28 है0 किस्म अलिफ का जरिये नामान्तकरण सं0 1050 ग्राम वजीरपुर में गैरखातेदारी स्वीकृत की जाकर जमाबन्दी संवत् 2076-2059 में गैर खातेदार को नोट अंकित किया गया। तत्कालीन नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.05.2011 को आवंटी का मौके व रिकोर्ड ,खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिस दर्ज नहीं होने पर एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। जो आवंटन शर्तो का उल्लघंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested